न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक (आर0ए0एस0)
अपील संख्या :–**45/2018**
अपीलान्ट:–

1. श्याम सुन्दर पुत्र श्री बोदूराम जाति ब्राह्मण निवासी छपारा तहसील मकराना जिला नागौर।
2. नारायणराम पुत्र श्री रतनाराम जाति राईका निवासी सरनावड़ा तहसील जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. नारायणराम पुत्र श्री बोदूराम जाति ब्राह्मण निवासी छपारा तहसील जिला नागौर।
2. बंशीलाल पुत्र श्री बोदूराम जाति ब्राह्मण निवासी छपारा तहसील मकराना जिला नागौर।
3. देवीलाल पुत्र श्री बोदूराम जाति ब्राह्मण निवासी छपारा तहसील मकराना जिला नागौर।
4. नारायणराम पुत्र श्री मोडूलाल जाति ब्राह्मण निवासी सरनावड़ा तहसील जिला नागौर।
5. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा बाजोली
6. तहसीलदार मकराना।

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री जमनलाल जागिंड अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 1181 दिनांक 18.08.2017 ग्राम सरनावड़ा द्वारा तहसीलदार मकराना अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :–**01.09.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत, नामान्तरण संख्या 1181 दिनांक 18.08.2017 द्वारा तहसीलदार मकराना ग्राम सरनावड़ा तहसील डीडवाना के विरूद्ध पेश की है।

{2} यह है कि अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 01 व रेस्पो. सं. 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत ख.न. 64 रकबा 79.06 बीघा मौजा सरनावड़ा में स्थित है व अपीलांट संख्या 02 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त का ख.नं. 62 रकबा 14.18 बीघा व रेस्पो. सं. 04 के खातेदारी एवं कब्जाकाश्त का ख.नं. 57 रकबा 60.04 बीघा मौजा सरनाड़ा में स्थित है। जिस खेताय में से उपखण्ड अधिकारी ने अपीलांट व अन्य रेकर्डेड

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

खातेदारों को बिना कोई सूचित किये मौके पर बिना कोई रास्ता होते हुए भी खातेदारों के खेताय में से रास्ता घोषित करने का आदेश पारित कर दिया गया। फिर पटवारी हल्का सरनाड़ा व तहसीलदार मकराना ने मौके पर आये बिना ही व मौके की जांच किये बिना ही व मौके पर बिना कोई रास्ता होते हुए भी अपीलांट की खोतेदारी के खेताय में से नामान्तरण भरकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता इन्द्राज कर दिया गया व तरमीम कर दिया गया। बिना जांच किये ही व रेकर्डेड खातेदारों को बिना सुने ही बाले–बाले ही गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरण सं. 1181 स्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील पेश की है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

{3} 1. यह है कि अपीलांट संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 01 ता 03 के सयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत ख.न. 64 रकबा 79.06 बीघा मौजा सरनावड़ा में स्थित है व अपीलांट संख्या 2 के संयुक्त खातेदारीका खेत ख.न. 62 रकबा 14.18 बीघा व रेस्पो. स. 4 के खातेदारी का खेत ख. न. 57 रकबा 60.04 बीघा मौजा सरनावड़ा में स्थित है। जिस खेताय के रेकर्डेड खातेदार हैं। कानूनी रूप से जिसको सुना जाना आवश्यक था लेकिन तहसीलदार मकराना ने अपीलांट्स को बिना सुने ही व बिना कोई जांच किये ही व बिना सूचित किये ही जैर अपील नामान्तरण स्वीकृत करने में कानूनी रूप से बड़ी भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 2. यह है कि कानूनी रूप से रेकर्डेड खातेदार के खिलाफ कोई किसी भी तरह का आदेश पारित किया जाता है तो आदेश पारित करने से पूर्व व कार्यवाही करने से पूर्व रेकर्डेड खातेदार को सूचित करना व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन रेस्पो. सं. 06 ने बिना कोई सुने व बिना कोई जांच किये ही जैर अपील आदेश पारित करने में कानूनी रूप से बड़ी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{3} 3.यह है कि नामान्तरण भरने से पूर्व मौके की स्थिति की जांच करना आवश्यक होता है लेकिन पटवारी हल्का सरनावड़ा व तहसीलदार मकराना ने मौके पर आकर किसी तरह की जांच नहीं की बिना जांच किये ही मौके पर रास्ता नहीं होते हुए भी जैर अपील नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

{3} 4. यह है कि तहसीलदार मकराना ने विधि विरूद्ध तरीके से व विधि के प्रावधानों के खिलाफ जाकर रेकर्डेड खातेदारों को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर खातेदारी की भूमि को कम करके रास्ते की भूमि होना घोषित कर नामान्तरण स्वीकृत करने में कानूनी रूप से बड़ी भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} 5. यह है कि जैर अपील आदेश पारित करने में विधि के प्रावधानों की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। विधि की प्रक्रिया अपनाए बिना ही विधि के प्रावधानों के खिलाफ जाकर जैर अपील आदेश पारित करने में बड़ी भारी भूल की है।

{3} 6. यह है कि राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से अपीलांट को खातेदारी हक व अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिए वंचित रखने की नियत से व बिना कोई रास्ता की आवश्यकता होते हुए भी व मौके पर बिना कोई रास्ता होते हुए भी गलत एवं मिथ्या व झूठी रिपोर्टो को आधार बनाते हुए आदेश व जैर अपील नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। जो आदेश विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 7. यह है कि विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि हितबध व आवश्यक पक्षकार के खिलाफ आदेश पारित करने से पूर्व या कार्यवाही करने से पूर्व हितबध व आवश्यक पक्षकार व रेकर्डेड खातेदार को सूचित करना व उसको सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन इस प्रकरण में अपीलांट को बिना सुने व बिना किसी को सूचना दिये ही एकपक्षीय रूप से नामान्तरण स्वीकृत किया है जो विधि के प्रावधानों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य हे तथा जहां पर नक्शे में रास्ता दर्शाया गया है वहां पर पूर्व में कोई किसी तरह का रास्ता नहीं था और न ही वर्तमान में है। मौके पर बिना कोई रास्ता होते हुए भी व बिना कोई जांच किये ही रास्ते का राजस्व रेकर्ड में विधि के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अंकन करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कानूनी रूप से भी निरस्त किये जाने योग्य है।

{3} 8. यह है कि जैर अपील आदेश की अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 17.07.18 को मौके पर पटवारी हल्का आये और कहा कि रास्ते का नामान्तरण हो गया है। अब हम रास्ता खुलवायेंगे तब अपीलांट दिनांक 18.07.18 को तहसील मकराना जाकर राजस्व रेकर्ड की तरफ ध्यान दिया व नामान्तरण की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नामान्तरण की नकल दिनांक 19.07.18 कको प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। तत्पश्चात दिनांक 20.07.18 को नागौर आकर अपील तैयार करवाई व दिनांक 21.07.18 व 22.07.18 को राजकीय अवकाश होने से जानकारी से अन्दर मयाद आज अपील पेश की जा रही है और सुरक्षा हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र पेश है।

{4}—उक्त नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 30.07.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 03.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/भू0अ0/नामा. अपील/2021/911 दिनांक 22.04.2021 के द्वारा ग्राम सरनावड़ा तहसील मकराना का मूल नामान्तरण संख्या 1181 दिनांक 18.08.2017 इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन नामान्तरण संख्या 1181 दिनांक 18.08.2017 एव खतौनी ग्राम सरनावड़ा की प्रतिलिपि पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{5}—प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व इसके मियादँ में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसीलदार मकराना द्वारा दिनांक 18.08.2017 को उक्त नामान्तरण किया गया है तथा अपीलांट को उक्त नामान्तरण की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 17.07.2018 को पटवारी हल्का सरनावड़ा से जानकारी प्राप्त हुयी की रास्ते का नामान्तरण हो गया है। अपीलांट दिनांक 18.07.18 को तहसील मकराना जाकर राजस्व रेकर्ड की तरफ ध्यान दिया व नामान्तरण की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नामान्तरण की नकल दिनांक 19.07.18 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः अपीलान्ट के निवेदन व अपील में मियाद के बिन्दु को नहीं देख कर प्रकरण के विषय को देखा जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील को नकल लेने की अवधि से एक माह की अवधि में अपील दर्ज किया जाना अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

{6}—बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 01 ता 03 के सयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत ख.न. 64 रकबा 79.06 बीघा मौजा सरनावड़ा में स्थित है व अपीलांट संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी का खेत ख.न. 62 रकबा 14.18 बीघा व रेस्पो. स. 4 के खातेदारी का खेत ख. न. 57 रकबा 60.04 बीघा मौजा सरनावड़ा में स्थित है। जो खेताय के रेकर्डेड खातेदार हैं। कानूनी रूप से जिसको सुना जाना आवश्यक था लेकिन तहसीलदार मकराना ने अपीलांट्स को बिना कोई जांच किये ही जैर अपील नामान्तरण स्वीकृत करने में कानूनी रूप से बड़ी भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार मकराना ने उक्त नामान्तरण स्वीकृत कर भारी कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तरण विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः आलौच्य नामान्तरण बिना दस्तावेजात के अवलोकन व बिना तथ्यों पर गौर फरमाये एव बिना कोई जांच किये स्वीकृत किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{7}—बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। नामान्तरण संख्या 1181 दिनांक 18.08.17 द्वारा अपीलांट संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 01 ता 03 के सयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत ख.न. 64 रकबा 79.06 बीघा मौजा सरनावड़ा व अपीलांट संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी का खेत ख.न. 62 रकबा 14.18 बीघा व रेस्पो. स. 4 के खातेदारी का खेत ख. न. 57 रकबा 60.04 बीघा मौजा सरनावड़ा में से गै0मु0रास्ता जिसके खसरा न0 497/62 रकबा 0—11 बिघा व खसरा नम्बर 498/64 रकबा 1.06 बीघा व खसरा नम्बर 500/57 रकबा 0.05 व खसरा न0 502/57 रकबा 0.15 व खसरा न0 504/56 रकबा 0.05 व खसरा न0

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

505/56 रकबा 1.10 व खसरा न0 507/55 रकबा 0.03 खोला गया। उक्त नामान्तरण उपखण्ड अधिकारी मकराना के आदेश क्रमांकःराजस्व/2017/145 दिनांक 02.02.2017 की पालना में तहसीलदार मकराना द्वारा खोला गया है। इस प्रकार प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। यदि पक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी मकराना के आदेश से कोई आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में उपखण्ड अधिकरी मकराना के आदेश के विरूद्ध कानून सम्मत कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार अपील अपीलांट सारहीन प्रतीत होती है।

—:आदेशः—

इस प्रकार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)